UPBG010013012026

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश / न्यायालय संख्या-01, बागपत।

उपस्थित : पूनम राजपूत, उच्चतर न्यायिक सेवा

जे0 ओ 0 कोड नं0 यू पी 6104

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या: 464/2026

1- प्रहलाद पुत्र बिजेन्द्र सिंह
2- मानसिंह पुत्र बिजेन्द्र
3- बिजेन्द्र पुत्र रगबर
4- रोशनी पत्नी बिजेन्द्र
समस्त निवासीगण सैनी ईकोटेक-प्रथम ग्रेटर नोएडा (कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर) उ०प्र०।

.....अभियुक्तगण।

बनाम

राज्य .....अभियोजक।

आदेश

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रहलाद, मानसिंह, बिजेन्द्र व रोशनी** की ओर से परिवाद संख्या-113/2025, अन्तर्गत धारा- 316(2) बी०एन०एस०, थाना बागपत, जनपद बागपत में प्रार्थना पत्र धारा-482 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा **स्वयं का शपथपत्र** इस आशय के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में उनका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इस जमानत प्रार्थनापत्र के अलावा कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ में विचाराधीन नहीं है।

3- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किये गये हैं कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें उपरोक्त मुकदमे में झूठा फँसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा आरोपित अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे में अभियोगिनी का कोई स्त्री धन नहीं है और न ही उनके द्वारा अभियोगिनी के स्त्रीधन का दुरुपयोग किया गया है। उक्त समस्त स्त्रीधन अभियोगिनी अपने साथ अपने मायके लेकर चली गयी थी, तभी से उक्त समस्त स्त्रीधन उसी के कब्जे में है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने न तो अभियोगिनी से शादी में किसी प्रकार के दहेज की माँग की और न ही दहेज की माँग के लिए कभी उसके साथ कोई मारपीट या प्रताड़ना की गयी। प्रार्थी/अभियुक्त मानसिंह की पत्नी पूजा स्वयं प्रार्थीगण के साथ नहीं रहना चाहती है और प्रार्थी/अभियुक्त अपनी पत्नी पूजा को लाने के लिए प्रयासरत है जिसके लिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवार न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर में वाद संख्या 1427/2022 अं० धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम में योजित किया गया है जो विचाराधीन है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध दर्ज परिवाद के अनुसार उक्त मुकदमा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत में परिवाद संख्या 113/2020 द्वारा परीक्षणीय है और उक्त मुकदमे में 5 वर्ष तक अथवा उससे कम कारावास का प्रावधान है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मान्य न्यायालय से मु०अ०सं० 91/2022, अं० धारा 498A, 323, 506 भा०दं०सं० व धारा 3/4 दहेज प्रति० अधि०, थाना महिला थाना बागपत में जमानत पर हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जानबूझकर मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में कोई कोताही नहीं की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मान्य न्यायालय की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जायेंगे और न ही मान्य न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरुपयोग करेंगे।

Digitally signed by Poonam Rajput
Date: 2026.03.12 17:19:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि अनुसार उचित जामीनान दाखिल करने को तैयार हैं। अतः अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

4- संक्षेप में परिवाद कथानक इस प्रकार है कि परिवादिनी पूजा के द्वारा न्यायालय के समक्ष परिवाद इस आशय के साथ योजित किया गया कि 'परिवादिनी की शादी दिनांक 20.02.2022 को विपक्षी संख्या 1 मानसिंह के साथ परिवादिनी के मायके ग्राम संतोषपुर, थाना बागपत जिला बागपत मे हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार एक भव्य समारोह मे सम्पन्न हुई थी, जिसमे परिवादिनी के पिता ने करीब 15 लाख रुपये खर्च किये थे तथा दान दहेज में कार मारूति इगनिश व समस्त घरेलू सामान, सोने चांदी के जेवरात, कीमती कपडे (संलग्न सूची में वर्णित) तथा नकद रूपये दिये थे। उक्त सभी सामान, कपडा, जेवरात व नकदी आदि विपक्षीगण को सौंपा गया था।दिनांक 20.02.2022 को ही परिवादिनी की बडी बहन अंजली का विवाह विपक्षी संख्या 02 के साथ सम्पन्न हुआ था, जिसमे भी परिवादिनी के माता पिता द्वारा सिर्फ कार को छोडकर अन्य सभी सामान, कीमती कपडे, सोने चांदी के जेवरात आदि व नकद रुपया दिया गया था। शादी के बाद कुछ समय तक तो विपक्षीगण का व्यवहार परिवादिनी व उसकी बहन श्रीमती अंजली के प्रति ठीक रहा, लेकिन उसके बाद विपक्षीगण परिवादिनी व उसकी बहन को कम दहेज लाने के कारण तंग व परेशान करने लगे तथा परिवादिनी व उसकी बहन से 10 लाख रूपये व एक केटा कार की मांग करते थे। परिवादिनी व उसकी बहन द्वारा विपक्षीगण को समझाने का काफी प्रयास किया कि हमारे माता-पिता की इतनी हैसियत नहीं है कि वे आपकी इस मांग को पूरा कर सके, परन्तु विपक्षीगण के व्यवहार मे कोई सुधार नहीं आया। परिवादिनी के माता-पिता द्वारा भी विपक्षीगण को काफी समझाया व मिन्नतें की गयीं, परन्तु विपक्षीगण द्वारा उनकी भी कोई सुनवाई नहीं की। धीरे-धीरे अपनी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर विपक्षीगण का व्यवहार परिवादिनी व उसकी बहन के प्रति और अधिक क्रूरतापूर्ण हो गया। परिवादिनी व उसकी बहन अपना गृहस्थ जीवन बचाये रखने के लिए विपक्षीगण के जुल्मों को सहन करती रही। दिनांक 25.09.2022 को भी विपक्षीगण ने अपनी उपरोक्त दहेज की मांग को लेकर गाली-गलौच की तथा परिवादिनी व उसकी बहन को तन्हा पहने कपड़ों में एक गाडी मे डालकर गांव संतोषपुर के बाहर उतारकर बुरी तरह से मारपीट की तथा जान से मारने का प्रयास किया तथा अपनी दहेज की उपरोक्त मांग को दोहराते हुए चले गये। तदुपरान्त परिवादिनी व उसकी बहन अपने मायके / घर गयी तथा उपरोक्त बाते अपने माता पिता को बतायी। इसके बाद परिवादिनी के भाई अंकित द्वारा विपक्षीगण के विरुद्ध महिला थाना बागपत पर मुकदमा कायम कराया गया। परिवादिनी व उसकी बहन का समस्त स्त्रीधन (संलग्न सूची) विपक्षीगण के कब्जे मे है, जिसे विपक्षीगण बिना परिवादिनी व उसकी बहन की अनुमति के इस्तेमाल कर रहे है तथा तोड़-फोड़ कर रहे हैं, जिसका विपक्षीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। परिवादिनी द्वारा अपने साथ अपने परिजनों व मौजिज व्यक्तियों को साथ ले जाकर विपक्षीगण से कई बार अपने स्त्रीधन की मांग की गयी, परन्तु विपक्षीगण के द्वारा परिवादिनी का स्त्रीधन वापस करने से साफ मना कर दिया गया। विपक्षीगण की नियत मे बदनीयति आ गयी है तथा विपक्षीगण परिवादिनी व उसकी बहन के स्त्रीधन को हड़पना चाहते हैं, जिसका विपक्षीगण को कोई विधिक व नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण को एक वैधानिक नोटिस बजरिये डाक दिनांकित 01.02.2025 प्रेषित किया गया, परन्तु विपक्षीगण द्वारा डाकिया से साज करके "डोर लॉक्ड" संबंधी रिपोर्ट लगवाकर उक्त नोटिस वापिस कर दिया गया, जिस कारण परिवादिनी को मान्य न्यायालय के समक्ष यह परिवादपत्र योजित करना पड़ रहा है। विपक्षीगण का उक्त कृत्य धारा 316 बी.एन.एस. की हद को पहुँचता है, जो एक दण्डनीय अपराध है। अतः परिवादिनी का साक्ष्य लिया जाकर विपक्षीगण को तलब कर दण्डित करने के आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी।'

5- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं। उन्हें उक्त अपराध में झूठा फँसाया गया है। उनके कब्जे में अभियोगिनी का कोई स्त्रीधन नहीं है। अभियोगिनी अपना समस्त स्त्रीधन अपने साथ ही अपने मायके लेकर चली गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कभी भी वादिनी के साथ दहेज की माँग को लेकर कोई मारपीट या गाली-गलौच नहीं की गयी है और न ही उसे कभी दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, बल्कि वादिनी अपनी मर्जी से अपने मायके में रह रही है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

6- विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गई।

7- उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर परिवादिनी का स्त्रीधन अपने कब्जे में रखने और परिवादिनी द्वारा माँगे जाने पर न लौटाये जाने का आरोप है। प्रश्नगत मामला परिवाद पर आधारित है जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 21.01.2026 के माध्यम से प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को धारा 316(2) बी०एन०एस० के तहत विचारण हेतु तलब किया गया है। मामला वैवाहिक सम्बन्धों से उत्पन्न विवाद पर आधारित है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण, परिवादिनी के ससुराल वाले हैं। अत: मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित विनर्णय **सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन एवं अन्य** 2022 **Live Law (SC)** 577 में दिये गये दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **प्रहलाद, मानसिंह, बिजेन्द्र व रोशनी** की ओर से परिवाद संख्या-113/2025, अन्तर्गत धारा- 316(2) बी०एन०एस०, थाना बागपत, जनपद बागपत में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को **अंकन 25-25,000/- (पच्चीस-पच्चीस हजार) रुपये** का निजी मुचलका व इतनी ही धनराशि के दो-दो प्रतिभू पत्र एवं निम्नलिखित अण्डर टेकिंग सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि अनुसार दाखिल करने पर प्रस्तुत प्रकरण में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये-

1- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगे।
2- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
3- प्रार्थीगण/अभियुक्तगण जमानत पर छूटने के बाद आपराधिक गतिविधियों मे लिप्त नहीं होंगे।

दिनांकः 12.03.2026

पूनम राजपूत
अपर सत्र न्यायाधीश/
न्यायालय संख्या-01, बागपत।